रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 1995/माघ 27, 1916
No. 93] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 1995/MAGHA 27, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

प्रधान समाहर्ता, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय

अधिसूचना

कानपुर, 9 फरवरी, 1995

संख्या 1/95—सीमा शुल्क (एन.टी.)

का.आ. 102(अ)—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 01-7-94 की अधिसूचना संख्या 33/94—सीमा शुल्क (एन.टी.) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के जिला-बाराबंकी, तहसील-नवाबगंज के ग्राम-पार खण्डौली को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 9 के अन्तर्गत भंडागार स्टेशन एतद्द्वारा घोषित किया जाता है।

[सी संख्या VIII-(40) पी.सी.यू./कानपुर/283/94/423]

बी.पी. वर्मा, प्रधान समाहर्ता
सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कानपुर-जोन

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

OFFICE OF THE PRINCIPAL COLLECTOR CUSTOMS

AND CENTRAL EXCISE

NOTIFICATION

Kanpur, the 9th February, 1995

NO. 1/95-CUSTOMS (N. T.)

S.O. 102(E).—In exercise of the powers conferred by Notification No. 53/94-Customs (N. T.), dated 1-7-1994 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi Village-Para Khandauli, Tahsil Nawabganj, District Barabanki in the State of Uttar Pradesh is hereby declared to be a warehousing station under section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1992).

[C. No. VIII(40)PCU|KNP|283|94|423]

B. P. VERMA, Principal Collector

Customs and Central Excise, Kanpur

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995